जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
(कल्याण शाखा)

अति अल्पकालीन निविदा

पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालयों के छात्र /छात्राओं के लिए काला जूता,सफेद मौजा,नेवी ब्लू स्वेटर,स्कुल बैग आपूर्ति संबंधी निविदा सूचना।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए काला जूता, सफेद मौजा,नेवी ब्लू स्वेटर,स्कुल बैग आदि आपूर्ति हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता से मुहर बंद निविदा दिनांक–10/12/16 को 12:00 बजे पुर्वाहण तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक–10/12/16 को 03:00 बजे अपराहण में परियोजना निदेशक,आई0टी0डी0ए0,चाईबासा के अध्यक्षता में जिला समाहरणालय सभा कक्ष में खोली जायेगी । जिसमें निविदादाता/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

1. जुता मौजा — 225.00 रू0 मात्र के अंतर्गत
2. नेवी ब्लू स्वेटर — 200.00 रू0 मात्र के अंतर्गत
3. स्कुल बैग — 105.00 रू0 मात्र के अंतर्गत

निविदा की शर्तें :–

क) निविदा के साथ निविदादाताओं को वित्तीय वर्ष 2015–16 तक का आयकर रिटर्न एवं बिक्रीकर का अदयतन स्वच्छता प्रमाण पत्र तथा उपायुक्त/पुलीस अधीक्षक के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण का स्व–हस्ताक्षरित अभिप्रमाणित छाया –प्रति संलग्न करना होगा।

ख) निविदा के साथ निविदा दाता को 10,000.00 (दस हजार) रूपये मात्र का जमानत राशि (डी0डी0/बैंकर्स चेक) जिला कल्याण पदाधिकारी,पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पदनाम से देना होगा।

ग) निविदा में सामग्रियों का दर सभी कर सहित अंकित करना होगा। किसी प्रकार का कटिंग या ओभर राईटिंग होने पर इस पर विचार नहीं किया जायेगा।

घ) दर निर्धारण के समय सभी सामग्री का नमूना लाना अनिवार्य होगा। अच्छे गुणवत्ता वाले नमूनों का दर निर्धारण किया जायगा। प्रत्येक सामग्री का एक ही दर देना होगा। एक सामग्री का एक से अधिक दर एवं ब्रण्ड पाये जाने पर उनके दर पर विचार नही किया जायगा।

ङ) स्कूल बैग में कल्याण विभाग,झारखण्ड सरकार,पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा प्रिंट कराकर देना होगा।

च) सामग्रियों की आपूर्ति इस जिला अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में 15 दिनों के अंदर पहुँचा कर एवं जूता मौजा एवं स्वेटर का नाप स्वयं लेकर करना होगा। जिसके लिये अलग से परिवहन व्यय या पैकिंग चार्ज देय नहीं होगा।

छ) कय समिति की निर्धारित बैठक में संबंधित निविदादाता/प्राधिकृत व्यक्ति को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनके निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

ज) शर्त युक्त निविदा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अंतिम होगा।

झ) बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करनें का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा।

ञ) झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के निबंधित निविदादाता ही इस निविदा में भाग ले सकते हैं।

ट) निविदादाता को तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग अलग दो शील्ड बंद लिफाफे में देना होगा। तकनीकि बीड में निविदा से संबंधित सभी कागजात (**Documents**) तथा दूसरे वित्तीय बीड लिफाफे में सामग्रियों का केवल दर अंकित रहेगा। तकनीकि बीड में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड क्रय समिति के बैठक में खोला जायेगा।

1/12/16

जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा

1/12/16

परियोजना निदेशक
आई0टी0डी0ए0,चाईबासा

ज्ञापांक– 1441(B) / दिनांक– 02/12/16

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा को सूचनार्थ । अनुरोध है कि उक्त निविदा को जिले के वेवसाईट www.chaibasa.nic.in पर लोड करने की कृपा की जाय।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।